


19/2018

13.9.19

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थनी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिसमें पाया कि प्रकरण लम्बे समय से विप्रार्थीगण की तलबी में विचाराधीन चल रहा है। लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी आदिनांक तक नोटिस तलबाना पेश नहीं किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि वकील प्रार्थी आवेदन को आगे चलाना नहीं चाहता है।

लिहाजा न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 05.03.2018 को निरस्त किया जाकर प्रार्थनी का आवेदन आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।


सहायक ज़िलेदार
(SDO) सिवाना

